(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (प्रशासनिक सुधार विभाग)

सातवां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0 फा0 17/14/03-प्र0सु0/557-716/८ दिनांक 16/01/12

अधिसूचना

सं0 फा0 17/14/03-प्र0सु0 इस विभाग की दिनांक 3 अक्टूबर, 2001 की अधिसूचना सं0 फा0 17/06/2001/प्र0सु0 अद्यतन यथा संशोधित के आंशिक आशोधन में तथा दिल्ली सूचना अधिकार अधिनियम 2001 (2001 का दिल्ली अधिनियम सं0 7) की धारा 2 के खंड(क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उनके नियंत्रणाधीन विभागों/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों/उपक्रमों के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ यहां संलग्न परिशिष्ट—। तथा परिशिष्ट-।। में निम्नलिखित संशोधन / सिम्मलन करते हैं, अर्थात:-

I. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट-। में, निम्न इस प्रकार प्रतिस्थापित होंगेः अर्थात :-

क्रम	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
सं0	कहा) समकारी प्ररियोजन	
09.	कला महाविद्याालय	प्रिंसिपल
14.	दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज / दिल्ली प्रौद्योगिकरण विश्वविद्यालय	सयुंक्त पंजीयक
24.	शिक्षा विभाग	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
	स्त्र व्यवस्ति मानवा १६ व्यवस्ति । स्त्र व्यवस्ति व्यवस्ति । इत्यास्त्र व्यवस्ति । स्त्र (स्वरूप्ति) स्वयस्ति मानवा	मुख्यालय, पत्राचार, विज्ञान एवं टेलीविज़न, खेल, शारीरिक शिक्षा व अन्य मामले जो सम्बंधित जिलों के अंतर्गत नहीं आते। अतिरिक्त निदेशक (एक्ट) सहयता प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त स्कूलों से सम्बंधित मामलों में।
29.	खाद्य एवं सम्भरण विभाग	अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)
68.	समाज कल्याण विभाग	निदेशक, समाज कल्याण विभाग

II. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट-। में, निम्न इस प्रकार सम्मिलित होंगे: अर्थात :-

क्रम	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
सं0	विभाग से सम्बंधित मामलो	
79.	आचार्य श्री भिक्क्षु सरकारी अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
80.	अत्तर सेन जैन नेत्र एवं समान्य अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
81.	बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
82.	भगवान महावीर अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
83.	डा० हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कड़कड़डूमा	चिकित्सा अधीक्षक
84.	डा० एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
85.	गुरू गोबिन्द सिंह सरकारी अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
86.	जग प्रवेश चन्द्र अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
87.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
88.	महाऋषि बाल्मिकी अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
89.	मौलान आज़ाद इंनस्टीटयूट ऑफ डेन्टल साईन्स	निदेशक प्रिंसिपल

90.	पं0 मदन मोहन मालवीय अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
91.	राजीव गांधी अति विशिष्ट अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
92.	राव तुला राम मेमोरियल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
93.	सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
94.	सत्यवादी राजा हरीश चन्द्र अस्पताल	चिकित्सा अधीक्षक
95.	महिला एवं बाल विकास	निदेशक, महिला एवं बाल विकास

III. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट—।। में, निम्न इस प्रकार प्रतिस्थापित/ सम्मिलित होंगेः अर्थात :—

क्रम	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
सं०	न यथा संशाधित के अधिक कामान में	
38.	दिल्ली नगर निगम	
	सके विनासकार माहितार पृष्ठ करके एकिए स	
	के नियंत्रणाचीन नियमता, ज्यापठ नियमत	मामलों में।
	THE REPORT OF BUFFIELD	
	मंत्रीकार करते हैं अर्थ कर मिल्लिक कर है	फैक्ट्री लाइसंसिंग विभाग से
		सम्बंधित मामलों में।
Anas Ali	प्रावस संद सकी है -आधित कि सम्बद्ध	उपायुक्त (सी.एल एवं ई.सी.),
	March 19 to 10 to	केन्द्रीय लाइसंसिंग एवं प्रवर्तन कक्ष
		से सम्बंधित मामलों में।
	Grading Brown	उपायुक्त (लाभकारी परियोजना
	Djamin Pint	कक्ष), लाभकारी परियोजना कक्ष से
		सम्बंधित मामलों में।
		उपायुक्त (टोल टैक्स), टोल टैक्स
		विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		उपायुक्त (विज्ञापन), विज्ञापन विभाग
	CHARLES TOWNERS	से सम्बंधित मामलों में।
		मुख्य निदेशक (डी.ई.एम.एस.)
	policy to the dec	स्वच्छता एवं सफाई विभाग से
	- I king time lighter	सम्बंधित मामलों में।
	(SPP) 481 - 1	निदेशक (सी.एस.डी.), समुदाय सेवा
	DAM THEFACE ALL D. 241.	विभाग से सम्बंधित मामलों में।
		मुख्य श्रम कल्याण अधिकारी, श्रम
	(FINISH) TRIPE HISTORIA	कल्याण विभाग से सम्बंधित मामलों
	ही लाइक स्टार्ड, डास्डीरी	में।
Shift in	जाकार कह कालि के 1-अवस्थित कि वनकार	निदेशक (पी एंड एस), पी एंड एस
	Anna Land Control of the State	विभाग से सम्बंधित मामलों में।
	शिक्शीस सम्रह	निदेशक (पी एंड आई), पी एंड आई
		विभाग से सम्बंधित मामलों में।
	प्रवास अधिकस्य अधिकरः	निगम सचिव, निगम सचिव के
	व अभवाल विकित्सा अधोक्षाक	कार्यालय से सम्बंधित मामलों में।
	अस्पताल विकित्सा अधीक्षक	आयुक्त के सचिव, आयुक्त
	विकित्सा अधीक्षक	कार्यालय से सम्बंधित मामलों में
	कडवाडरमा चिनित्सा अधीराह	अतिरिक्त उपायुक्त (मुख्यालय),
	अस्यात विकित्सा अधीराक	मुख्यालय तथा अन्य सभी सम्बंधित
	भवागः विकित्सः अधायक	मामले जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा
	विकास अधीर ।	न देखे गए हों।
	2 POSITION TO ONLY	निदेशक (कार्मिक), स्थापना विभाग
	ियक्तिया अधीरक	से सम्बंधित मामलों में
44.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	निदेशक (प्रशासन)

45.	सेंट जोन ऐम्बुलेंस ब्रिगेड	निदेशक (स्वास्थ्य सेवाऐं)/पदेन आयुक्त (सेंट जोन ऐम्बुलेंस ब्रिगेड)
46.	सुश्रता ट्रॉमा सेन्टर	चिकित्सा अधीक्षक

IV. दिनांक 03.10.2001 की अधिसूचना की परिशिष्ट-।। में, निम्न इस प्रकार हटाये जाएंगेः अर्थातः-

अथात:-		
क्रम सं0	विभाग का नाम	सक्षम प्राधिकारी
38.	दिल्ली नगर निगम	अतिरिक्त आयुक्त (स्लम एवं जे.जे.) स्लम एवं जे.जे. विभाग से सम्बंधित मामलों में
		अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) भूमि एवं सम्पदा विभाग, फैक्ट्री लाईसंसिंग विभाग, लाभकारी परियोजना कक्ष, टोल टैक्स विभाग, विज्ञापन विभाग से सम्बंधित मामलों में
		निदेशक (सी.एस.ई.) स्वच्छता एवं सफाई विभाग से सम्बंधित मामलों में
		अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय), श्रम कल्याण विभाग, समुदाय सेवा विभाग तथा अन्य सभी सम्बंधित मामले जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा न देखे गए हों।
		अतिरिक्त आयुक्त (अभियांत्रिक) केन्द्रीय स्थापना विभाग से सम्बंधित मामलों में

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके तस्म पर,

> (डॉ० एम. एम. कुट्टी) प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

सं फा 17/14/03-प्र0सु / 557-716/८

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित:-

- समस्त प्रधान सचिव/सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 3. समस्त स्थानीय निकाय/स्वायत्त निकाय/उपक्रम तथा दिल्ली सरकार के स्वामित्व या द्वारा पोषित अन्य संस्थाएं।
- 4. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री / मंत्रियों के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
- 5. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार।
- 6. उप सचिव (समन्वय), समन्वय शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

7. लाईब्रेरियन, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली।

सीमा वावा

उपनिदेशक (प्रशासनिक सुधार)

दूरभाषः 23392422

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi
(Administrative Reforms Department
7th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002.

No. F.17/14/03-ARI 557 -716/C

Delhi the 16 01 12

2012

NOTIFICATION

No. F.17/14/03-AR/ - In partial modification of this Department's Notification No. F.17/6/2001/AR, dated 3rd October, 2001 as amended up-to-date, and in exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of section 2 of the Delhi Right to Information Act 2001 (Delhi Act No. 7 of 2001), the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments/additions in Annexure-I and Annexure II appended thereto for the purpose of the said Act, in respect of the Departments/Autonomous Bodies/Local Bodies/Undertakings under its control, namely:-

I. In Annexure-I to the notification dated 03/10/2001, the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
09.	College of Art	Principal
14.	Delhi College of Engineering/ Delhi Technological University	Joint Registrar
	Education Department Medication Department	Additional Director (Admn.) in respect of matters related to Head Quarter, Patrachar, Science & TV, Sports, Physical Education and issues other than those covered by respective districts. Additional Director (Act) in respect of matters relating to aided and unaided schools.
29.	Food & Supplies Department	Additional Commissioner (Admn.)
68.	Department of Social Welfare	Director, DSW

II. In Annexure-I to the notification dated 03/10/2001, the following shall be added, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
79.	Acharya Shree Bhikshu Government Hospital	Medical Superintendent
80.	Attar Sain Jain Eye and General Hospital	Medical Superintendent
81.	Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital	Medical Superintendent
82.	Bhagwan Mahavir Hospital	Medical Superintendent
83.	Dr. Hedgewar Arogya Sansthan, Karkardooma	Medical Superintendent
84.	Dr. N.C. Joshi Memorial Hospital	Medical Superintendent
85.	Guru Gobind Singh Government Hospital	
86.	Jag Pravesh Chandra Hospital	Medical Superintendent
87.	Lal Bahadur Shastri Hospital	Medical Superintendent
88.	Maharishi Balmiki Hospital	Medical Superintendent

89.	Maulana Azad Institute of Dental Science	Director Principal
90.	Pt. Madan Mohan Malviya Hospital	Medical Superintendent
91.	Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital	Medical Superintendent
92.	Rao Tula Ram Memorial Hospital	Medical Superintendent
93.	Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital	Medical Superintendent
94.	Satyawadi Raja Harish Chander Hospital	Medical Superintendent
95.	Women & Child Development	Director, WCD

III. In Annexure-II to the notification dated 03/10/2001, the following shall be substituted/added, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
38.	Municipal Corporation of Delhi	Deputy Commissioner (L&E) in
		respect of matters relating to L&E
	skes the following a treatment and the	Department
	to for one purpose or the same and of of	D
		respect of matters relating to
	cal Bodies/Undortalongs and the	Factory Licensing Department
		Deputy Commissioner (CL & EC) in
		respect of matters relating to
	dated 03/10/2001, the following on	Central Licensing & Enforcement
		Cell Salama
	Competent Authority	Deputy Commissioner (RP Cell) in
	legionica	respect of matters relating to RP
		Cell
	in a significant	Deputy Commissioner (Toll Tax) in
	A Landson March Landson A	respect of matters relating to Toll
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	Tax Department
	of parties steller to make	Deputy Commissioner (Advt.) in
	a consist make the same	respect of matters relating to
	Apj65uha Makazi . http://	Advertisement Department
	STEVOT REDGIT THEFT	Director in Chief (DEMS) in respect
	X21-011 - 172 pcz	of matters relating to Sanitation
	(Edd) Saloped March 700	Department
		Director (CSD) in respect of matters
	hand so self-1 th to the	relating to Community Services
	maple anceans of it, ab	Department
		Chief Labour Welfare Officer in
		respect of matters relating to
	dated 03/19/2001, inc. forcewing also	Labour Welfare Department
		Director (P&S) in respect of matters
		relating to P&S Department
		Director (P&I) in respect of matters
	processing the proces	relating to P&I Department
		Municipal Secretary in respect of
~~~		Secretary Office
		Secretary to Commissioner in
	and the state of t	respect of matters relating to
		Commissioner Office.
	The second secon	Addl. Deputy Commissioner (HQ) in
	Indiana managaran and an	respect of matters relating to HQ
	1 (C 1911 ) (I) (C 11) (C 15)	and issue other than those not
		covered by rest of the Competent
		Authorities of MCD.
	metallik erne krisen	Director (Personnel) in respect of
	and the second s	matters relating to Establishment

7///	Dainett 18 / L	Department
44.	Delhi Urban Shelter Improvement Board	Director (Admn.)
45.	St. John Ambulance Brigade	Director (Health Services)/Ex- Officio Commissioner (St. John Ambulance Brigade)
46.	Sushrta Trauma Centre	Medical Superintendent

# IV. In Annexure-II to the notification dated 03/10/2001, the following shall be deleted, namely:-

S.No.	Name of the Department	Competent Authority
38.	Municipal Corporation of Delhi	Additional Commissioner (S&JJ) in respect of matters relating to Slum & JJ Department.
AWA (AR) (AR) (AR)	CSEEMA B Coputy Director	Additional Commissioner (Revenue) in respect of matters relating to Land & Estate Department, Factory Licensing Department, Remunerative Projects
1.		Cell, Toll Tax Department, Advertisement Department Director (CSE) in respect of matters relating to Sanitation Department
		Additional Commissioner (HQ) in respect of matters relating to Labour Welfare Department Community Services covered by
		rest of the Competent Authorities of MCD
		Additional Commissioner (Engineering) in respect of matters relating to Central Establishment Department

by Order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(DR. M.M. KUTTY) PRINCIPAL SECRETARY (AR) No. F.17/14/2003-AR/ 557-716/C Copy to:- Dated: 16/01/12

1. All Pr. Secretaries/Secretaries/Spl. Secretaries/Joint Secretaries/Additional Secretaries/Deputy Secretaries/Under Secretaries, Govt. of NCT of Delhi

2. All Heads of the Departments, Government of NCT of Delhi

- 3. All Heads of Autonomous Bodies/Local Bodies/Undertakings and other institutions owned or substantially finance by the Government of NCT of Delhi
- 4. Pr. Secretary to Lt. Governor/Pr. Secretary to Chief Minister/Secretaries to Ministers, Government of NCT of Delhi

5. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi

6. Dy. Secretary (Coordination), Coordination Branch, General Administration Department, Government of NCT of Delhi for publication in the Delhi Gazette.

7. Librarian, Delhi Legislative Assembly, Delhi.

(SEEMA BAWA)

(SEEMA BAWA) Deputy Director (AR) Ph. 23392422